

कार्यालय कलेक्टर जिला रायगढ एवं पदेन उप सचिव छ0ग0शासन एवं आपदा प्रबंधन विभाग
प्रारंभिक अधिसूचना

दिनांक 27 फरवरी, 2019

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 38/अ-82/2017-18 - चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के कालम (1) से (5) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कालम-7 में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सर्वसंबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद द्वारा अनुसूची के कालम (6) में उल्लिखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

| जिला | तहसील | ग्राम | भूमि का प्रकार | | | | धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण |
|-------|--------|-----------|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------|--|---|
| | | | खसरा नंबर एवं अर्जित रकबा (हे.में) | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | 5 | 6 |
| रायगढ | घरघोडा | कुडुमकेला | ख0नं0 | रकबा | ख0नं0 | रकबा | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग धरमजयगढ | कोसमघाट जलाशय योजनान्तर्गत दांयी तट में ग्राम कुडुमकेला के प्रभावित निजी भूमि |
| | | | 133/1 ख/5 | 0.059 | 133/6/ख 141/1/क 143/3/ख | 0.008 | | |
| | | | 133/1/प/5 | 0.120 | 133/6ख 141/1ख 143/3/ख | 0.042 | | |
| | | | 133/1/ख/3 | 0.168 | 143/4 | 0.008 | | |
| | | | 133/1/क/3 | 0.168 | 133/4 | 0.121 | | |
| | | | 133/1/फ | 0.176 | 133/9 | 0.312 | | |
| | | | 133/2क | 0.121 | 141/1 | 0.102 | | |
| | | | 133/2/ख | 0.012 | 142/1क | 0.146 | | |
| कुल:- | | | कुल-14 | कुल रकबा 1.563 हे0 | | | | |

(2.) यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयाजन के औचित्य तथा सामाजिक समाधात निर्धारण के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम की धारा 2013 की धारा की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।

(3) भूमि का नक्शा/प्लान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घरघोडा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(4) प्रस्तावित भू-खण्ड से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।

(5) प्रस्तावित प्रयोजन के भू-अर्जन के लिये कराये गये सामाजिक समाधात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाधात की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।

(6) प्रस्तावित भू-अर्जन के लिये अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व घरघोडा जिला रायगढ को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

(यशवंत/कुमार)

कलेक्टर रायगढ एवं पदेन उप सचिव

छ.ग.शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग